राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय की स्थापना

4. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।
5. विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव ।
6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।
7. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।
8. विश्वविद्यालय की अधिकारिता ।
9. विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।
10. छात्रों का प्रवेश ।
11. विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

12. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।
13. शासी निकाय ।
14. शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।
15. शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य ।
16. कार्य परिषद् ।
17. विद्या परिषद् ।
18. विद्या परिषद् के कृत्य ।
19. वित्त समिति ।
20. सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।
21. विश्वविद्यालय के अधिकारी ।
22. कुलपति ।
23. प्रतिकुलपति ।
24. कुलसचिव ।
25. संकायाध्यक्ष ।

खंड

26. वित्त अधिकारी ।

27. अन्य प्राधिकरण और अधिकारी ।

28. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

29. राज्य सरकारों द्वारा अनुदान ।

अध्याय 4

लेखा और लेखा परीक्षा

30. विश्वविद्यालय का निधि संग्रह ।

31. निधि ।

32. लेखा और संपरीक्षा ।

33. पेंशन और भविष्य निधि ।

अध्याय 5

वार्षिक रिपोर्ट और नियुक्तियां

34. विश्वविलद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ।

35. नियुक्तियां ।

अध्याय 6

परिनियम और अध्यादेश

36. परिनियम ।

37. परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

38. अध्यादेश ।

39. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

अध्याय 7

माध्यस्थम् अधिकरण

40. कर्मचारियों के लिए माध्यस्थम् अधिकरण ।

41. छात्रों का परीक्षा से विवर्जन और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निवारण ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

42. प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

43. केंद्रीय सरकार की, शासी निकाय से संबंधित विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति ।

44. रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

45. विश्वविद्यालय का, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण होना ।

46. केंद्रीय सरकार की, किए गए कार्य और की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने की तथा जांच करने की शक्ति ।

47. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

खंड

48. अवशिष्ट उपबंध ।

49. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

50. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

51. नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

52. संक्रमणकालीन उपबंध ।

53. 2009 के गुजरात अधिनियम 14 का निरसन ।

2020 का विधेयक संख्यांक 99

[राष्ट्रीय रक्षा युनिवर्सिटी बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित और घोषित करने के लिए तथा उसके निगमन और उससे संबद्ध तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा ।

2. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के उद्देश्य ऐसे हैं, जो उसे एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, इसलिए यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विद्या परिषद्" से धारा 17 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों के अनुसार कार्य परिषद् द्वारा इस रूप में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(ग) "महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाने वाली या उसके विशेषाधिकार प्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत संबद्ध महाविद्यालय भी है ;

(घ) "संकायाध्यक्ष" से धारा 25 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) "विभाग" से विश्वविद्यालय का कोई शैक्षणिक विभाग अभिप्रेत है ;

(च) "दूरस्थ शिक्षा प्रणाली" से संसूचना के साधन जैसे प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम या ऐसे दो या अधिक प्रकारों के संयोजन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली अभिप्रेत है ;

(छ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक, अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारिवृंद भी हैं ;

(ज) "कार्य परिषद्" से धारा 16 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है ;

(झ) "वित्त समिति" से धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है ;

(ञ) "निधि" से धारा 31 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय की निधि अभिप्रेत है ;

(ट) "शासी निकाय" से धारा 13 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ड) "प्रति कुलपति" से धारा 23 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति अभिप्रेत है ;

(ढ) "कुलसचिव" से धारा 24 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलसचिव अभिप्रेत है ;

(ण) "विद्यापीठ" से विश्वविद्यालय की विद्या शाखा अभिप्रेत है ;

(त) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ;

(थ) "छात्र" से विश्वविद्यालय का छात्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति भी है, जो विश्वविद्यालय में किसी अध्ययन पाठ्यक्रम को करने के लिए नामांकित किया गया है ;

(द) "शिक्षक" से विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए या अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन देने के लिए या विश्वविद्यालय में छात्रों को किसी

अध्ययन पाठ्यक्रम को करने में सहायता देने के लिए परिनियमों द्वारा इस रूप में नियुक्त या मान्यताप्राप्त आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य अभिप्रेत हैं ;

(ध) "विश्वविद्यालय" से धारा 4 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(न) "कुलपति" से धारा 22 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय की स्थापना

2009 का गुजरात अधिनियम सं0 14

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन ।

4. (1) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन गुजरात राज्य में स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में स्थापना की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा, जिसका अपना शाश्वत उत्तराधिकार और अपनी सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन जंगम और स्थावर, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय गुजरात राज्य के गांधीनगर में होगा ।

(4) विश्वविद्यालय भारत में या भारत के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर, जो वह ठीक समझे, केंद्रों और कैंपसों की स्थापना कर सकेगा और उन्हें चला सकेगा ।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के प्रति किसी निर्देश को विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में समझा जाएगा ;

(ख) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित समस्त स्थावर और जंगम संपत्ति विश्वविद्यालय में निहित होगी ;

(ग) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और उसके अधिकार और दायित्व होंगे ;

(घ) इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसी पदावधि के लिए उसी पारिश्रमिक पर उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करेंगे और सेवा में रहेंगे, जो वे धारण करते, यदि इस अधिनियम को अधिनियमित नहीं किया जाता और ऐसा तब तक करते रहेंगे, जब तक उनका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों तथा शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका नियोजन, कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनानुसार और यदि इस निमित्त उसमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर कर

संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति संविदा के निष्पादन के लंबित रहते इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के संगत किसी संविदा के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी लिखत या अन्य दस्तावेज में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की प्रत्येक विद्यमान संस्थान या विभाग में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे प्रारंभ पर तत्स्थानी संस्थान या विभाग में विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के उसी स्तर पर प्रवर्जित और रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा, जिससे ऐसा व्यक्ति प्रजर्वित हुआ और विश्वविद्यालय में ऐसे शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन जारी रखेगा ;

(च) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व संस्थित सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी या संस्थित रहेंगी ;

(छ) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त या उसके द्वारा चलाए जाने वाले सभी महाविद्यालय, संस्थाएं, संकाय और विभाग विश्वविद्यालय से सहबद्ध या उसके विशेषाधिकार प्राप्त रहेंगे या उसके द्वारा चलाए जाएंगे ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य ।

6. विश्वविद्यालय के उद्देश्य वैश्विक मानकों का संवर्धन करना और—

(क) शिक्षण और अनुसंधान के गतिशील और उच्च मानक के लिए उपबंध करना ;

(ख) पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत तटीय पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा, विधि प्रवर्तन, दांडिक न्याय, साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंतरिक सुरक्षा के संबंधित क्षेत्र भी हैं, में शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण की अभिवृद्धि और प्रसार को समर्पित कार्यकारी वातावरण तथा उच्चतम गुणता की छात्रवृत्ति के लिए उपबंध करना ;

(ग) महिलाओं, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के विशेष संदर्भ सहित, जो आवश्यक बौद्धिक कुशाग्रता से संपन्न हैं, नागरिकता और नागरिक केंद्रक सेवाओं के उच्चतम आदर्श रखने वाली मानव पूंजी को बनाने के दृष्टि से लोक सुरक्षा, नैतिक प्रतिबद्धता और मुक्त समाज में अपराध, न्याय और लोक सुरक्षा की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए वृत्तिक सक्षमता के लिए उपबंध करना ।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य ।

7. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) पुलिस विज्ञान, जिसके अंतर्गत तटीय पुलिस व्यवस्था, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंश, साइबर अपराध, जोखिम प्रबंधन और लैंगिक संवेदीकरण, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों, किशोर न्याय तथा सरकार के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के लिए सुसंगत ऐसे अन्य विषयों सहित सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे, संबंधित अध्ययन भी हैं, शिक्षण और

अनुसंधान की व्यवस्था करना और ऐसी शाखाओं में शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार का उपबंध करना ;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रमों जैसे डिग्रियां, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, जिसके अंतर्गत दीर्घ और लघु अवधि के सेवा में रहते पाठ्यक्रम भी हैं, की योजना बनाना और विहित करना ;

(ग) अपने सहबद्ध महाविद्यालयों के माध्यम से एकीकृत पाठ्यक्रमों को, जिसके अंतर्गत पुलिस व्यवस्था से संबंधित या सहबद्ध विषयों में पश्च मैट्रिकुलेशन भी है, डिजाइन करने और संचालित करने का प्रयास करना ;

(घ) परीक्षाएं आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना ;

(ङ) सम्मानिक डिग्रियां और अन्य उपाधियां प्रदत्त करना ;

(च) ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदत्त करना और अच्छे और पर्याप्त कारण से किसी ऐसे डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, डिग्री या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना ;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को, जो वह अवधारित करे, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना ;

(ज) सेमेस्टर प्रणाली, निरंतर मूल्यांकन और विकल्प आधारित प्रत्यय प्रणाली को लागू करना तथा अन्य विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं से प्रत्यय अंतरण और संयुक्त डिग्री कार्यक्रमों के लिए करार करना ;

(झ) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद् या किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन अभिप्राप्त करना ;

(ञ) प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली सहित ई-प्रशासन लागू करना ;

(ट) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(ठ) अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में महाविद्यालयों, संस्थाओं और छात्र-निवासों तथा छात्रों के निवास के लिए छात्रावासों की स्थापना करना, उन्हें चलाना और उनका प्रबंध करना ;

(ड) ऐसे क्षेत्रीय केंद्र और विशेषीकृत प्रयोगशालाएं या अनुसंधान और शिक्षण के लिए अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं ;

(ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण, संस्कृति और सामुदायिक जीवन के संवर्धन के लिए इंतजाम करना ;

(ण) ऐसे शैक्षणिक और अन्य पद संस्थित करना और उन पर (कुलपति की दशा के सिवाए) नियुक्तियां करना, जो शिक्षण प्रदान करने और विश्वविद्यालय के सभी कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए आवश्यक हों ;

(त) किसी अन्य विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्था में कार्य करने वाले

व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त करना, जिसके अंतर्गत वे संस्थाएं भी हैं, जो देश से बाहर स्थित हैं ;

(थ) सार्वजनिक और निजी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के साथ शिक्षकों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और सामान्यतया ऐसी रीति में, जो उनके सामान्य उद्देश्यों के लिए सहायक हों, सहकार, सहयोग या भागीदारी करना या सहयुक्त होना, जिसके अंतर्गत वे संस्थाएं भी हैं, जिनके उद्देश्य पूर्णत: या भागत: विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान हैं ;

(द) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, छात्र सहायतावृत्ति, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ;

(ध) शिक्षण संबंधी सामग्री की तैयारी के लिए उपबंध करना, जिसके अंतर्गत संबंधित साफ्टवेयर और अन्य श्रवण-दृश्य सहायक सामग्री भी है ;

(न) विश्वविद्यालय की अभ्यंतर सक्षमता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए उपबंध करना ;

(प) संविदाएं करना, उनको कार्यान्वित करना, उनमें फेरफार करना या उन्हें रद्द करना ;

(फ) छात्रों और सभी प्रवर्ग के कर्मचारियों में अनुशासन की व्यवस्था, नियंत्रण करना और उसे बनाए रखना तथा ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें अधिकथित करना, जिसके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है ;

(ब) ऐसी अवसंरचना स्थापित करना और उसे बनाए रखना, जो आवश्यक हो ;

(भ) आवश्यकतानुसार, देश भर में कैंपस स्थापित करना और अपतट कैंपस स्थापित करना ;

(म) ऐसी रीति में, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, विदेशी छात्रों, भारत के कार्ड धारक विदेशी नागरिकों, भारतीय मूल के व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय, खाड़ी और दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों में भारतीय कर्मकारों के बालकों को प्रवेश देना ;

(य) ऐसी सभी बातें करना, जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी स्थावर संपत्ति का किसी भी रूप में व्ययन नहीं करेगा ।

विश्वविद्यालय की अधिकारिता ।

8. विश्वविद्यालय की अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी ।

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

9. (1) विश्वविद्यालय, लिंग, मूलवंश, जाति, पंथ, निर्योग्यता, अधिवास, धार्मिक विश्वास, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी संपत्ति की ऐसी वसीयत, संदान या अंतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् की राय में इस धारा की भावना और उद्देश्य के विपरीत शर्तें या बाध्यताएं अंतर्वलित हैं ।

(3) विश्वविद्यालय में अध्ययन के प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रवेश, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया के प्रारंभ से पहले प्रकट किए गए पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंड के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु विश्वविद्यालय, केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्था होगी ।

छात्रों का प्रवेश ।

10. (1) विश्वविद्यालय का यह प्रयास होगा कि वह शिक्षण और अनुसंधान के अखिल भारतीय स्वरूप और उच्च मानक बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करे ।

(2) विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का प्रवेश ऐसी रीति में, जो अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, अखिल भारतीय आधार पर किया जाएगा ।

(3) अंतरराष्ट्रीय आधार पर छात्रों को प्रवेश, ऐसी रीति में दिया जा सकेगा, जो परिनियमों और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों या अनुदेशों या मार्गदर्शक सिद्धांतों में अधिकथित की जाए ।

विश्वविद्यालय में अध्यापन ।

11. विश्वविद्यालय में समस्त अध्यापन इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किया जाएगा ।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

12. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय ;

(ख) कार्य परिषद. ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ; और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों में विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में अधिकथित किया जाए ।

शासी निकाय ।

13. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय की शासी निकाय का गठन कर सकेगी ।

(2) शासी निकाय में अध्यक्ष सहित पन्द्रह से अनधिक सदस्य होंगे, जिसमें अधिकतर सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा शिक्षा, उद्योग और सुसंगत वृत्तिक क्षेत्रों से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष ;

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति - पदेन ;

(ग) गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न का एक प्रतिनिधि- पदेन ;

(घ) भारतीय विधिक सेवा का संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न का एक अधिकारी, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए- पदेन ;

(ङ.) गुजरात सरकार के दो प्रतिनिधि, जो उस सरकार में सचिव की पंक्ति से अनिम्न अधिकारी हों ;

(च) राज्य पुलिस विश्वविद्यालयों का चक्रानुक्रम से एक प्रतिनिधि- पदेन ;

(छ) शैक्षणिक या शिक्षा के क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त एक व्यक्ति - पदेन ;

(ज) उद्योग और कारपोरेट क्षेत्र से ख्यातिप्राप्त या विशेषज्ञ एक व्यक्ति - पदेन ;

(झ) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सुसंगत क्षेत्र से वैश्विक ख्याति का विशेषज्ञ हो- पदेन ;

(ञ) तीन से अनधिक व्यक्ति, जिनकी रक्षा, पुलिस व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सहबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता हो- पदेन ।

(3) केंद्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकारों के परामर्श से, जो वह ठीक समझे, शासी निकाय का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी, जो शैक्षणिक, रक्षा, सुरक्षा, विधि प्रवर्तन या आंतरित सुरक्षा के क्षेत्र से कोई ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा ।

शासी निकाय के सदस्यों की पदावधि, रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

14. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाए शासी निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि मार्गनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक जारी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके कारण वह सदस्य है ।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामनिर्देशित किसी सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक रहेगी, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्देशित किया गया है ।

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, पद छोड़ने वाला कोई सदस्य, जब तक कि शासी निकाय अन्यथा निदेश न दे, तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसके स्थान पर सदस्य के रूप में दूसरे व्यक्ति को नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता ।

(5) शासी निकाय के सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्तों के हकदार होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं किन्तु कोई भी सदस्य इस उपधारा के कारण किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा ।

शासी निकाय की शक्तियां और कृत्य ।

15. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय का शासी निकाय, साधारण नीति निर्माण, विश्वविद्यालय के कार्यों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा तथा विश्वविद्यालय की उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं की गई हैं और विद्या परिषद् के कार्यों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति रखेगा ।

(2) शासी निकाय का, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में समन्वय करने का साधारण कर्तव्य होगा ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासी निकाय निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों और कार्यक्रमों को बनाना और उनका पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के विकास के लिए उपाय सुझाना ;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, डिग्रियों और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों की अवधि से संबंधित मामलों, प्रवेश मानक और अन्य शैक्षणिक मामलों पर सलाह देना ;

(ग) कर्मचारियों के काडर, भर्ती की पद्धति, सेवा की शर्तों, छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के संस्थन, फीस के उद्ग्रहण तथा सामान्य हित के अन्य मामलों

की बाबत नीति अधिकथित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की विकास योजनाओं की परीक्षा करना और उनमें से ऐसी योजनाओं का अनुमोदन करना, जो आवश्यक समझी जाती हैं तथा ऐसी अनुमोदित योजनाओं की वित्तीय विवक्षाओं को भी विस्तृत रूप से उपदर्शित करना ;

(ड.) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट प्राक्कलनों की परीक्षा करना तथा केंद्रीय सरकार को उस प्रयोजन के लिए नीतियों के आबंटन की सिफारिश करना ;

(च) नीति अधिकथित करना तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यकरण से संबंधित नीति के प्रश्नों पर विनिश्चय करना ;

(छ) अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करना ;

(ज) परिनियम बनाना ;

(झ) शैक्षणिक के साथ ही साथ अन्य पद संस्थित करना और उन पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने वाले मामलों में आवश्यक सिफारिश करना ;

(ट) अध्यादेशों को संशोधित या निरसित करने के लिए विचार करना और विद्या परिषद् को निदेश देना ;

(ठ) विद्या परिषद् और कार्य परिषद् द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और बजट प्राक्कलनों पर इसकी विकास योजनाओं के विवरण सहित विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना, जो वह ठीक समझे ;

(ड) अपनी किसी भी शक्ति को कार्य परिषद्, कुलपति, प्रतिकुलपतियों, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को प्रत्यायोजित करना ;

(ढ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करना, जो उसको इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

(4) शासी निकाय के पास, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करने की, जो वह आवश्यक समझे, शक्ति होगी ।

कार्य परिषद् ।

16. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी ।

(2) कुलपति, कार्य परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ।

(3) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि, उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं :

परंतु इतनी संख्या में सदस्य, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं, शासी निकाय के सदस्यों में से होगें ।

विद्या परिषद् ।

17. विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति, विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा ;

(ख) शिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त

या इस रूप में मान्यता प्राप्त आचार्य ;

(ग) तीन व्यक्ति, जो शासी निकाय द्वारा विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से सुसंगता वाले उद्योग या शिक्षा में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे ;

(घ) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, जो विख्यात शिक्षाविदों में से कुलपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से चक्रानुक्रम से पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ; और

(च) अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से दो व्यक्ति, जिन्हें शासी निकाय द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ।

विद्या परिषद् के कृत्य ।

18. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर नियंत्रण तथा साधारण पर्यवेक्षण करेगी और विश्वविद्यालय में विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षाओं के मानकों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

वित्त समिति ।

19. वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

सहबद्धता और मान्यता बोर्ड ।

20. (1) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड, महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) सहबद्धता और मान्यता बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

विश्वविद्यालय के अधिकारी ।

21. विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति ;

(ख) प्रतिकुलपति ;

(ग) कुलसचिव ;

(घ) संकायाध्यक्ष ;

(ङ.) वित्त अधिकारी ; और

(च) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारी होना परिनियमों में अधिकथित किया जाए ।

कुलपति ।

22. (1) केंद्रीय सरकार, ऐसी राज्य सरकारों के परामर्श से, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर सकेगी, जो सर्वोत्तम स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और सांस्थानिक प्रतिबद्धता, अधिमानत: पुलिस प्रशिक्षण और आंतरिक सुरक्षा में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जिसके पास पुलिस व्यवस्था या अनुसंधान या प्रशासन या सामाजिक विज्ञान में व्यापक अनुभव हो या कोई प्रख्यात शिक्षाविद्, जो विख्यात अनुसंधान या शैक्षिक संगठनों में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला होगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए और अनुदेश प्रदान करने के लिए और उसमें अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(3) कुलपति शासी निकाय को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा प्रस्तुत करेगा ।

(4) शासी निकाय के विनिश्चयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा ।

(5) कुलपति साधारणतया शैक्षिक परिषद् की बैठकों और विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम द्वारा सौंपे जाएं या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

प्रतिकुलपति ।

23. विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति ऐसी रीति में, ऐसी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

कुलसचिव ।

24. (1) विश्वविद्यालय के कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति में और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं ।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जो शासी निकाय उसके प्रभार में सौंपे ।

(3) कुलसचिव शासी निकाय, कार्य परिषद्, शैक्षिक परिषद् और ऐसी अन्य समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा, जो परिनियमों में विहित की जाएं ।

(4) कुलसचिव अपने कृत्यों के समुचित पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(5) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे अधिनियम या परिनियमों या कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं ।

संकायाध्यक्ष ।

25. विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष ऐसी रीति में, ऐसी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

वित्त अधिकारी ।

26. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति में और ऐसी परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

अन्य प्राधिकरण और अधिकारी ।

27. इसमें इसके पूर्व वर्णित से भिन्न विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों और अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य, जिसके अंतर्गत सेवा के निबंधन और शर्तें भी हैं, ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

28. केंद्रीय सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का दक्षता से निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग करने के पश्चात् विश्वविद्यालय को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, संदाय करेगी ।

राज्य सरकारों द्वारा अनुदान ।

29. विश्वविद्यालय, किसी भी राज्य सरकार से वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में या एकमुश्त अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशियां प्राप्त कर सकेंगी ।

अध्याय 4

लेखा और लेखा परीक्षा

विश्वविद्यालय का निधि संग्रह ।

30. विश्वविद्यालय के निधि संग्रह के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए, विश्वविद्यालय, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या अन्य स्रोतों से निधियां प्राप्त कर सकेगा और अपनी निधियों का उपयोग कर सकेगा ।

निधि ।

31. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा,—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त समस्त धन ;

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त समस्त धन ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों के माध्यम से प्राप्त समस्त धन ; और

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य रीति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन ।

(2) विश्वविद्यालय की निधि में प्रत्यय किए गए समस्त धन को ऐसे बैंक में जमा किया जाएगा या उसका ऐसी रीति में विनिधान किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे ।

(3) विश्वविद्यालय की निधि का उपयोजन इस अधिनियम के अधीन उसके व्ययों को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कर्तव्यों के पालन में उपगत व्यय भी है ।

लेखा और संपरीक्षा।

32. (1) विश्वविद्यालय उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप और लेखांकन मानक में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तैयार करेगा ।

(2) विश्वविद्यालय के लेखाओं की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसको वाउचरों से संबंधित लेखा बहियां प्रस्तुत करने और अन्य दस्तावेज तथा कागज पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने का और विश्वविद्यालय के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित विश्वविद्यालय के लेखाओं को वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केंद्रीय सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

पेंशन और भविष्य निधि ।

33. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीम का ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के

अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, उसी प्रकार की ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जो वह ठीक समझे ।

1925 का 19

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी भविष्य निधि का गठन किया गया है, वहां केंद्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह एक सरकारी भविष्य निधि थी ।

अध्याय 5

वार्षिक रिपोर्ट और नियुक्तियां

विश्वविलद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट ।

34. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् द्वारा तैयार की जाएगी और इसके अंतर्गत अन्य विषयों के साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय तथा उसके द्वारा किए गए अनुसंधान के निर्धारण पर आधारित परिणाम सम्मिलित होंगे तथा उसे शासी निकाय को उस तारीख को या उससे पूर्व, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा तथा शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) शासी निकाय द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रखा जाएगा ।

(3) कार्य परिषद्, प्रत्येक वर्ष, पूर्ववर्ष में विश्वविद्यालय के कार्यकरण के संबंध में, वित्तीय वर्ष के समापन के नौ मास की समाप्ति पर या उससे पहले अंग्रेजी और हिन्दी में एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे जारी करेगी तथा उसकी एक प्रति पूर्ववर्ष में आय और व्यय दर्शाने वाले लेखाओं के संपरीक्षित विवरण सहित उस नियत समय के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी और उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाया जा सकेगा ।

नियुक्तियां ।

35. (1) कुलपति की नियुक्ति के सिवाय, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार,--

(क) शासी निकाय द्वारा की जाएगी, यदि शैक्षिक कर्मचारिवृंद की सहायक प्रोफेसर या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति की जानी है या यदि नियुक्ति गैर शैक्षिक कर्मचारिवृंद में समूह 'क' के समतुल्य और उससे ऊपर के पद पर की जानी है ;

(ख) किसी अन्य दशा में कुलपति द्वारा की जाएगी ।

अध्याय 6

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम ।

36. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) कार्य परिषद् द्वारा संबद्ध महाविद्यालय के रूप में किसी संस्था को मान्यता देने की रीति ;

(ख) विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति और परीक्षा समिति सहित प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन, शक्तियां और कृत्य ;

(ग) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरना तथा इन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से

संबंधित अन्य विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;

(घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी परिलब्धियां ;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ;

(च) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारिवृंद की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उपबंध है ;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को प्रशासित करने वाले सिद्धांत ;

(झ) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच विवादों के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ;

(ञ) किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध शासी निकाय को अपील करने की प्रक्रिया ;

(ट) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ;

(ठ) विद्यालयों, विभागों, क्रेंदों, सभागारों, महाविद्यालयों और संस्थाओं को स्थापित करना और उत्सादन करना ;

(ड) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों, जिसके अंतर्गत शिक्षण निकाय, संगम और प्राइवेट सेक्टर है, के साथ सहयोग और मिलकर कार्य करने की रीति ;

(ढ) मानद उपाधियां प्रदान करना ;

(ण) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक उपाधियों को वापस लेना ;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंधन ;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ;

(द) कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(ध) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

37. (1) विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम शासी निकाय द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और उसकी एक प्रति उसके बनाए जाने के यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

(2) शासी निकाय, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु शासी निकाय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों

या उसके गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उसका संशोधन नहीं करेगा और उसका निरसन नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर शासी निकाय विचार करेगा ।

अध्यादेश ।

38. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए ,अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा ,अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उसका नामांकन

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों ,डिप्लोमाओं ,प्रमाणपत्रों के अध्ययन के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधियों ,डिप्लोमाओं ,प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें अनुदत्त और अभिप्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधन ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ;

(च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित और प्रदान करने के लिए शर्तें ;

(छ) परीक्षा का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि भी है ;

(ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें ;

(झ) विशेष प्रबंध, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास और शिक्षण के लिए किया जा सकता है तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करना ;

(ञ) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ट) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाता है ;

(ठ) कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए तंत्र की स्थापना ;

(ड) कोई अन्य विषय ,जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है या किया जाए ।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

39. (1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे ।

(2) कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए अध्यादेश उस तारीख से प्रभावी होंगे, जो वह निदेश दे किंतु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश यथासंभव शासी परिषद् को प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर शासी परिषद् द्वारा अगली उत्तरवर्ती बैठक में विचार किया जाएगा ।

(3) शासी निकाय के पास संकल्प द्वारा ऐसे किसी अध्यादेश का अनुमोदन करने

की, उपांतरित करने की या रद्द करने की शक्ति होगी और ऐसा अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से तदनुसार यथास्थिति, उपांतरित या रद्द समझा जाएगा ।

अध्याय 7

माध्यस्थम् अधिकरण

कर्मचारियों के लिए माध्यस्थम् अधिकरण ।

40. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जाएगी, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उदभूत विवाद कर्मचारी के अनुरोध पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य और संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य से मिलकर बनने वाले और शासी परिषद् द्वारा नियुक्त अपांयर की अध्यक्षता वाले माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) माध्यस्थम् अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चय किए गए विषयों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का लाभ उठाने से निवारित नहीं करेगी ।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किए गए प्रत्येक अनुरोध को इस धारा के निबंधनों में माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थांतर्गत माध्यस्थम् की स्वीकृति समझा जाएगा । 1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों में अधिकथित की जाएगी ।

छात्रों का परीक्षा से विवर्जन और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए निवारण ।

41. (1) किसी परीक्षा का कोई छात्र या अभ्यर्थी, जिसके नाम को, यथास्थिति, अनुशासनिक समिति या परीक्षा समिति की सिफारिश पर कुलपति के आदेश विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में एक वर्ष से अधिक के लिए उपस्थित होने से विवर्जित कर दिया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर वह शासी निकाय को अपील कर सकेगा और शासी निकाय कुलपति के विनिश्चय को पुष्ट, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा ।

(2) छात्र के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उदभूत विवाद को ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा और धारा 40 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को लागू होंगे ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्राधिकरणों और निकायों के गठन के बारे में विवाद ।

42. यदि इस बारे में कोई प्रश्न उदभूत होता है कि क्या किसी व्यक्ति का सम्यकत: चयन या नियुक्ति की गई है या वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य बनने का हकदार है, तो ऐसे मामले को केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

43. (1) केंद्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन के पश्चात् शासी निकाय से संबंधित प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगी । केंद्रीय सरकार की, शासी निकाय से संबंधित विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) शासी निकाय के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति ;

(ख) शासी निकाय का सदस्य चुने जाने और बनने के लिए निरर्हताएं ;

(ग) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह प्राधिकरण, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा ;

(घ) शासी निकाय की बैठकें और कारबार के संचालन की प्रक्रिया ;

(ङ) शासी निकाय के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और

(च) वह रीति, जिसमें शासी निकाय के कृत्यों का निर्वहन किया जा सकेगा ।

44. इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन गठित शासी निकाय या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि,— रिक्तियों आदि के कारण कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना ।

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ;

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो ।

2005 का 22

45. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध विश्वविद्यालय को ऐसे लागू होंगे, मानो यह उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित कोई लोक प्राधिकरण था । विश्वविद्यालय का, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण होना ।

46. (1) केंद्रीय सरकार, विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रशासित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, द्वारा किए गए कार्य और की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसकी जांच करने के लिए तथा उन पर ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार निदेश दे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी । केंद्रीय सरकार की, किए गए कार्य और की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने की तथा जांच करने की शक्ति ।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, कुलपति के माध्यम से शासी निकाय के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह रिपोर्ट में उठाए गए किसी भी मुद्दे के संबंध में आवश्यक समझे तथा विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

47. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

48. (1) शासी निकाय को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी ऐसे विषय का, जिसका इस अधिनियम में विशिष्ट रूप से उपाय नहीं किया गया है, निपटारा करने का अवशिष्ट उपबंध ।

प्राधिकार होगा ।

(2) ऐसे सभी विषयों पर शासी निकाय का विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

49. विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए समय-समय पर उसे जारी किए जाएं ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

50. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए गए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों और अधिसूचनाओं का रखा जाना ।

51. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश बनाए जाने के पश्चात् तथा प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा और यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाया जाना चाहिए या अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु नियम, परिनियम, अध्यादेश या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निप्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

52. (1) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात में कार्यरत विद्यमान शासी बोर्ड, वित्त समिति और अन्य समितियों का उस समय तक कार्य करना जारी रहेगा, जब तक विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरणों या समितियों का गठन नहीं कर लेता ।

(2) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गुजरात के विद्यमान अधिकारी, जैसे कुलपति, कुलसचिव या वित्त अधिकारियों का उस समय तक कार्य करना जारी रहेगा, जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर ली जाती ।

2009 के गुजरात अधिनियम 14 का निरसन ।

53. (1) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी—

(क) रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, जारी किए गए सभी आदेश, प्रदत्त सभी डिग्रियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां, प्रदान किए गए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, मंजूर विशेषाधिकार या

की गई अन्य बातें इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन क्रमश: की गई, जारी की गई, प्रदत्त, मंजूर या की गई समझी जाएगी और इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन यथा उपबंधित के सिवाए तब तक प्रवृत्त रहेंगी, जब तक उन्हें इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किसी आदेश द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता ; और

(ख) शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए, चयन समिति या किसी अन्य समिति, यदि कोई हो, की सभी कार्रवाइयां, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले की गई थीं तथा ऐसी चयन समिति या प्राधिकरण, यदि कोई हो, की सिफारिशों के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों की सभी कार्रवाइयां, जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले उसके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश पास नहीं किया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया इस अधिनियम द्वारा अधिसूचित की गई है, विधिमान्य होना समझा जाएगा, किन्तु ऐसे लंबित चयनों के संबंध में आगे की कार्यवाहीं इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उस प्रक्रम से जारी रहेगी, जहां वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले थी, इस बात के सिवाय कि संबंधित प्राधिकरण इसके प्रतिकूल कोई विनिश्चय लेता है ।

उद्देश्यों का कारण और कथन

यद्यपि भारत में पुलिस की स्थापना राज्यवार की जाती है, तो भी पुलिस कार्यकरण की आधारभूत धारणा और पद्धति संपूर्ण देश में न्यूनाधिक रूप से समान है । संस्थाओं के लिए, आवश्यक शैक्षणिक ज्ञान, वृत्तिक कौशल और सामुदायिक अभिविन्यास के साथ पुलिस और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है । वर्तमान में, देश में केवल कुल संस्थाएं ही हैं जो आधुनिक नागरिक-केंद्रक पुलिस व्यवस्था की मांग को पूरा करने के लिए पुलिस विज्ञान और आंतरिक सुरक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए वातावरण, अवसंरचना और विशेषज्ञताएं प्रदान करती हैं । परिणामस्वरूप, पुलिस और सुरक्षा बलों में सम्मिलित होने की आकांक्षा रखने वाले युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में और सहबद्ध क्षेत्रों में राष्ट्रीय परिपेक्ष्य को विकसित करने, अनुसंधान करने और ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है ।

2. पूर्वोक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए गुजरात सरकार द्वारा राज्य अधिनियम अर्थात् रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन स्थापित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात को उन्नत करके एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

3. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का, अनुसंधान तथा विभिन्न पणधारियों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारी का सृजन करने और पुलिस व्यवस्था, दांडिक न्याय प्रणाली और सुधारक प्रशासन के विभिन्न खंडों में विशेषीकृत ज्ञान और नए कौशल समुच्चयों के साथ प्रशिक्षित वृत्तिकों के पूल के लिए आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करने के लिए एक बहुशाखा वाले विश्वविद्यालय के रूप में होना प्रस्तावित है । विश्वविद्यालय के संबंध अन्य देशों में विस्वस्तरीय विश्वविद्यालयों के साथ होंगे, जो समकालीन अनुसंधान के आदान-प्रदान, शैक्षणिक सहयोग, पाठ्यक्रम डिजाइन, तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता आधारित होंगे ।

4. राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए है—

(क) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना करना और उसकी राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषणा करना और उसके निगमन का उपबंध करना ;

(ख) यह उपबंध करना कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय बहुशाखा वाला विश्वविद्यालय होगा और अनुसंधान तथा विभिन्न पणधारियों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारी का सृजन करेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय को डिग्रियां तथा अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना ;

(घ) विश्वविद्यालय का, लिंग, मूलवंश, जाति, पंथ, निर्योग्यता, अधिवास, धार्मिक विश्वास, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होना ;

(ङ) प्राधिकरणों का उपबंध करना, जैसे- एक शासी निकाय, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, वित्त समिति और ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों में विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होना अधिकथित किया जाए ;

(च) यह उपबंध करना कि अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के शासी निकाय का प्रधान होगा और वह विश्वविद्यालय के साधारण नीति निर्माण, अधीक्षण, निदेशन और कार्यों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा ;

(छ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के लिए उपबंध करना, जैसे- कुलपति, प्रतिकुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, वित्त अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा निधि रखे जाने का उपबंध करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किए जाने का उपबंध करना ;

(ञ) केंद्रीय सरकार को कुलपति की नियुक्ति के लिए सशक्त बनाना, जो विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा ;

(ट) यह उपबंध करना कि विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद तथा विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न किसी भी विवाद के शीघ्र निपटारे हेतु विचार करने के लिए एक माध्यस्थम् अधिकरण होगा ;

(ठ) शासी निकाय को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के पहले परिनियम विरचित करने के लिए सशक्त बनाना ;

(ड) कार्य परिषद् को शैक्षणिक मामलों की बाबत अध्यादेश बनाने के लिए सशक्त करना और इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश शासी निकाय के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा ;

(ढ) प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध करना ;

(ण) केंद्रीय सरकार को विश्वविद्यालय, जिसके अंतर्गत उसके द्वारा प्रशासित महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, के कार्यों और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उसकी जांच करने के लिए तथा उस पर ऐसी रीति में, जो वह सरकार निदेश दे, रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सशक्त बनाना ;

(त) यह उपबंध करना कि विश्वविद्यालय, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित लोक प्राधिकरण होगा ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
20 मार्च, 2020

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 4 में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की, एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापना और निगमन के लिए उपबंध है ।

2. वित्तीय विवक्षा, वेतन और अन्य कार्यालय खर्चों पर व्यय तक सीमित है, जिसका प्राक्कलन बीस करोड़ रुपए वार्षिक के रूप में किया गया है । इस स्तर पर विश्वविद्यालय के अवसंरचना के विकास और अन्य सुविधाओं के लिए अनावृत्ति पूंजी व्यय के मद्दे व्यय का कोई भी प्राक्कलन करना कठिन है ।

3. व्यय की पूर्ति गृह मंत्रालय के अधीन किए गए बजट उपबंध के माध्यम से भारत की संचित निधि से की जाएगी ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 13, केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन करने के लिए सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 37, शासी निकाय को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के पहले परिनियम बनाने और नए या अतिरिक्त परिनियम बनाने अथवा उक्त परिनियमों को संशोधित या निरसित करने के लिए सशक्त करता है । विधेयक का खंड 36, उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत प्रस्तावित विधान के अधीन परिनियम बनाए जा सकेंगे । ये विषय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित हैं : (क) कार्य परिषद् द्वारा संबद्ध महाविद्यालय के रूप में किसी संस्था को मान्यता देने की रीति ; (ख) विश्वविद्यालय की अनुशासनिक समिति और परीक्षा समिति सहित प्राधिकरणों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन, शक्तियां और कृत्य ; (ग) उक्त प्राधिकरणों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और पद पर बने रहना, सदस्यों की रिक्तियों का भरना तथा इन प्राधिकरणों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ; (घ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी परिलब्धियां ; (ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षिक कर्मचारिवृंद और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें ; (च) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहे शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारिवृंद की किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति ; (छ) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उपबंध है ; (ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को प्रशासित करने वाले सिद्धांत ; (झ) विश्वविद्यालय और कर्मचारियों या विद्यार्थियों के बीच विवादों के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया ; (ञ) किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध शासी निकाय को अपील करने की प्रक्रिया ; (ट) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना ; (ठ) विद्यालयों, विभागों, क्रेंदों, सभागारों, महाविद्यालयों और संस्थाओं को स्थापित करना और उत्सादन करना ; (ड) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों, जिसके अंतर्गत शिक्षण निकाय, संगम और प्राइवेट सेक्टर है, के साथ सहयोग और मिलकर कार्य करने की रीति ; (ढ) मानद उपाधियां प्रदान करना ; (ण) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक उपाधियों को वापस लेना ; (त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंधन ; (थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन ; (द) कर्मचारियों और विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और (ध) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किए जाने हैं या परिनियमों द्वारा अधिकथित किए जाएं ।

3. विधेयक के खंड 39 में यह उपबंध है कि अध्यादेश, शासी निकाय के अनुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे । विधेयक का खंड 38 उन विषयों को विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत प्रस्तावित विधान के अधीन ऐसे अध्यादेश बनाए जा सकेंगे । ये विषय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित से संबंधित हैं : (क) विश्वविद्यालय में

छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उसका नामांकन ; (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों ,डिप्लोमाओं ,प्रमाणपत्रों के अध्ययन के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम ; (ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम ; (घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं तथा उन्हें अनुदत्त और अभिप्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले साधन ; (ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस ; (च) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित और प्रदान करने के लिए शर्तें ; (छ) परीक्षा का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि भी है ; (ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें ; (झ) विशेष प्रबंध, यदि कोई हो, जो महिला विद्यार्थियों के निवास और शिक्षण के लिए किया जा सकता है तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करना ; (ञ) अध्ययन केंद्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेषीकृत प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ; (ट) किसी अन्य निकाय का सृजन, संरचना और कृत्य, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक जीवन में सुधार करने के लिए आवश्यक समझा जाता है ; (ठ) कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतों का निपटान करने के लिए तंत्र की स्थापना ; (ड) कोई अन्य विषय ,जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है या किया जाए ।

4. विधेयक का खंड 43, केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उपखंड (2) में वे विषय प्रगणित हैं, जिनकी बाबत ऐसे नियम बनाए जा सकेंगे । इन विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी हैं : (क) शासी निकाय के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति ; (ख) शासी निकाय का सदस्य चुने जाने और बनने के लिए निरर्हताएं ; (ग) वे परिस्थितियां, जिनमें और वह प्राधिकरण, जिसके द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकेगा ; (घ) शासी निकाय की बैठकें और कारबार के संचालन की प्रक्रिया ; (ङ) शासी निकाय के सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते ; और (च) वह रीति, जिसमें शासी निकाय के कृत्यों का निर्वहन किया जा सकेगा ।

5. विधेयक के खंड 51 में यह उपबंध है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, परिनियम या अध्यादेश और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है ।

6. वे विषय, जिनकी बाबत नियम, परिनियम या अध्यादेश बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और इस रूप उनके लिए प्रस्तावित विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । इसलिए विधायी का शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—6204LS(CRC)—20-3-2020.